दूरभाष– 2286709
फैक्स–0522–2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
www.sudaup.org
e mail-sudauplko@yahoo.com

पत्रांक 5510 / 04 / सात / रि.यो. / 2014–15– ।। दिनांक 27 मार्च, 2015

अति महत्वपूर्ण

आदेश

मोटर / बैटरी चालित ई–रिक्शा की आपूर्ति, उनकी विस्तृत वारंटी, अनुरक्षण सेवा एवं बैटरी चार्जिंग सेन्टर्स की स्थापना के संदर्भ में दिनांक 05.3.2015 को प्रकाशित निविदा संदर्भ संख्या–2/RICKSHAW-YOJNA/UPGOVT/2015 में प्राप्त कुल 09 निविदाओं का मूल्यांकन शासन द्वारा नामित परामर्शी संस्था यूपिको से कराया गया तथा निविदा समिति द्वारा दिनांक 20.3.2015 को उस पर विचारोपरान्त मात्र एक कम्पनी काइनैटिक ग्रीन, पुणे की तकनीकी निविदा को अर्ह पाया गया। एकल तकनीकी निविदा अर्ह होने के कारण वित्तीय निविदा खोलने के सम्बन्ध में निर्णय / अनुमोदन हेतु निविदा समिति की संस्तुति के अनुसार प्रकरण को शासन को संदर्भित किया गया था। शासन के पत्रांक 925 / 69–1–2015 / 14(31) / 12टीसी–। दिनांक 26.3.2015 द्वारा विचारोपरान्त यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि, "दिनांक 05.3.2015 को प्रकाशित निविदा के सापेक्ष 09 विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त तकनीकी निविदा में से केवल काइनैटिक ग्रीन, पुणे की निविदा अर्ह पायी गयी है। अतः स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोंण से निविदा प्रक्रिया को निरस्त करते हुए पुनः टेण्डर आमंत्रित किया जाए। तदनुसार एतदद्वारा एकल अर्ह तकनीकी निविदा प्राप्त होने के कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से उक्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है।"

शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि योजना में हो रहे विलम्ब को देखते हुए 21 दिन की अवधि देते हुए तत्क्रम में पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही तत्काल की जाए। तदनुसार पुनः निविदा अलग से आमंत्रित की जा रही है।

उपरोक्त क्रम में निविदा संदर्भ संख्या–2/RICKSHAW-YOJNA/UPGOVT/2015 से सम्बन्धित समस्त बिड प्रदाता कम्पनियों को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त निरस्त निविदा के सापेक्ष अपने तकनीकी निविदा प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किए गए **बैंक गारण्टी सम्बन्धी मूल प्रपत्र तत्काल किसी भी कार्य दिवस में सूडा मुख्यालय पर उपस्थित होकर अथवा अपने द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। यदि प्रस्तुत सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर इंगित बैंक गारण्टी प्राप्त नही की जाती है तो उसे बिड प्रपत्र में उल्लिखित कम्पनी के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।**

27/3/2015

निदेशक